Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः- 184 /61 व्यघ-सामान्य/26 दिनांक 28/02/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाऐं दायर की गयी हैः-

1. **Writ Petition No. 317 of 2026 (S/S) Pankaj Chauhan Vs. State of Uttarakhand and others.**
2. **Writ Petition No. 318 of 2026 (S/S) Kamlesh Chandra Vs. State of Uttarakhand and others.**
3. **Writ Petition No. 320 of 2026 (S/S) Kunwar Singh Vs. State of Uttarakhand and others.**
4. **Writ Petition No. 321 of 2026 (S/S) Prasoon Nautiyal Vs. State of Uttarakhand and others.**
5. **Writ Petition No. 322 of 2026 (S/S) Mukesh Chandra Jukaria Vs. State of Uttarakhand and others.**
6. **Writ Petition No. 134 of 2026 (S/S) Dharmendra Kumar Sharma Vs. State of Uttarakhand and others.**
7. **Writ Petition No. 135 of 2026 (S/S) Nidhi Chauhan Vs. State of Uttarakhand and others.**
8. **Writ Petition No. 359 of 2026 (S/S) Meenu Devi Vs. State of Uttarakhand and others.**

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 09.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः-

"Till further orders, petitioner shall not be discontinued from service and they shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration. This interim order shall last only till completion of the ongoing selection process."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 09.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/III(1)/26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिनका क्रमांक 06, 02, 04, 07, 05, 08, 32 एवं 34 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:-

क0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री पंकज चौहान	श्री प्यार सिंह चौहान	01.11.84	रिट याचिका संख्या-317/एस0एस0/2026 पंकज चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रप्रयाग
2	श्री कमलेश चन्द्र	स्व0 श्री खीमा राम	20.03.86	रिट याचिका संख्या-318/एस0एस0/2026 कमलेश चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल
3	श्री कुवंर सिंह	श्री त्रिलोक सिंह	04.06.84	रिट याचिका संख्या-320/एस0एस0/2026 कुंवर सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, उत्तरकाशी

शेष पृष्ठ-02 पर

4	श्री प्रसून नौटियाल	श्री राम प्रसाद नौटियाल	28.08.90	रिट याचिका संख्या–321/एस0एस0/2026 प्रसून नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, गुप्तकाशी
5	श्री मुकेश चन्द्र जुकरिया	श्री खुशाल दत्त	10.07.80	रिट याचिका संख्या–322/एस0एस0/2026 मुकेश चन्द्र जुकरिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़
6	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	श्री रामधन शर्मा	14.10.67	रिट याचिका संख्या–134/एस0एस0/2026 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल
7	श्रीमती निधि चौहान	श्री सुरेश सिंह	11.05.91	रिट याचिका संख्या–135/एस0एस0/2026 निधि चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, काशीपुर
8	श्रीमती मीनू देवी	श्री मदन सिंह	01.04.89	रिट याचिका संख्या–359/एस0एस0/2026 मीनू देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, नैनीताल

(राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (**ई–मेल द्वारा**) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2.सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

24-2-26

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः- 185 /61 व्यघ-सामान्य/26 दिनांक 28/02/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के समक्ष निम्न रिट याचिकाऐं दायर की गयी हैः-

1. **Writ Petition No. 372 of 2026 (S/S) Priyanka Sharma Vs. State of Uttarakhand and others.**
2. **Writ Petition No. 374 of 2026 (S/S) Mukesh Uniyal Vs. State of Uttarakhand and others.**

उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 11.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः-

"Till further orders, petitioner shall not be discontinued from service and they shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration. This interim order shall last only till completion of the ongoing selection process."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 11.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/III(1)/26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिनका क्रमांक 30 एवं 45 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:-

क0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती प्रियंका शर्मा	श्री राजेन्द्र शर्मा	12.01.89	रिट याचिका संख्या-372/एस0एस0/2026 प्रियंका शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	अस्थाई खण्ड, सहिया
2	श्री मुकेश उनियाल	श्री वीरेन्द्र दत्त	02.03.90	रिट याचिका संख्या-374/एस0एस0/2026 मुकेश उनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, चम्बा

(राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

शेष पृष्ठ 02 पर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (**ई–मेल द्वारा**) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2.सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

24-2-26

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः- 186 /61 व्यघ-सामान्य/26 दिनांक 28/02/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 491/एस0एस0/2026 हरीश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 20.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः-

"In the meantime, it is provided that the services of the petitioner as a Junior Engineer shall not be disengaged till the regularly selected candidates are available with the respondent-Department and also to pay remuneration to the petitioner regularly as admissible under law."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/III(1)/26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिसका क्रमांक 77 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा निम्नवत पारित किये जाते हैं:-

क0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री हरीश कुमार	स्व0 श्री राकेश कुमार	12.11.89	रिट याचिका संख्या-491/एस0एस0/2026 हरीश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	निर्माण खण्ड, पाबौ

ह0-

(राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को **(ई-मेल द्वारा)** उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2.सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः- 187 /61 व्यघ-सामान्य/26 दिनांक 28/02/2026

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 459/एस0एस0/2026 गायत्री काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 18.02.2026 को निम्न अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः-

"Till further orders, petitioner shall not be discontinued from service and they shall be permitted to serve as before and shall be paid remuneration. This interim order shall last only till completion of the ongoing selection process."

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.02.2026 एवं शासकीय पत्र संख्या 370776/III(1)/26-98926 दिनांक 13.02.2026 के अनुपालन में विभागाध्यक्ष कार्यालय के ज्ञाप संख्या 216/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 10.03.2025 एवं ज्ञाप संख्या 226/196 व्यघ-सामान्य/17 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संविदा के रूप में आबद्ध 77 कार्मिकों में से उपरोक्त याचीगण जिसका क्रमांक 67 पर नाम अंकित है, को मा0 उच्च न्यायालय पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ताओं के नियमित चयन अथवा उपरोक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा निम्नवत पारित किये जाते हैं:-

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	मा0 न्यायालय में दायर रिट याचिका	तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती गायत्री काण्डपाल	श्री हरीश चन्द्र	29.07.90	रिट याचिका संख्या-459/एस0एस0/2026 गायत्री काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर

(राजेश चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करवायें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (**ई-मेल द्वारा**) उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
2.सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
3.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा)।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष